न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 19/2024

कल्लूराम पुत्र ओंकारमल जाति मीना निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट हाल निवासी कालाखो तहसील दौसा जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.7.2024 मुकदमा नं0 364/2024 अधीनस्थ तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा अंतर्गत धारा 91 लै.रे.एक्ट

उपस्थित : 1. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 19.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा दिनांक 31.7.2024 को ग्राम कालाखो के खसरा नंबर 892 रकबा 0.01है. पर पारित निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट अंतर्गत धारा 91 के तहत योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भाण्डारेज के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अप्रार्थी कल्लूराम पुत्र ओंकारमल मीना निवासी कालाखो ने संवत 2080 में किस्म गै.मु.रास्ता सिवायचक खसरा नंबर 892 रकबा 0.01है. पर अतिक्रमण किया है, जिस पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के अंतर्गत पूर्व हल्का पटवारी रामभजन मीना को साक्षी के लिए तलब करवाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी रामभजन मीना को बयान हेतु तहरीर जारी फरमाई जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.7.2024 नियत की गई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान अपीलांट के पीठ पीछे लेते हुए दिनांक 31.7.2024 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करके अपीलांट को बेदखल करने व लगान का 50 गुना राशि 3.00 रू0 आरोपित करते हुए बेदखली का निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का पारित निर्णय विधि विरूद्ध महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही मनमानी पूर्ण एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय फरमाया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारीशुदा निर्णय दिनांक 31.7.2024 नियम, न्याय प्रक्रिया के विरूद्ध होने की गरज से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानीपूर्ण तरीके से निर्णय पारित किया गया है जो विधि के सामान्य सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिचारी मानते हुए विधि विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध बिना कोई अतिचार साबित हुए वेगपूर्ण आज्ञा भारी शास्ति एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। हल्का पटवारी के द्वारा तहसीलदार भाण्डारेज के समक्ष प्रेषित प्रार्थना पत्र बाबत खसरा नंबर 892 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 0.01है. के अतिचार विधि प्रक्रिया एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का सही प्रकार अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा रामजीलाल गुर्जर निवासी कालाखो से मिलकर गलत प्रकार से खसरा नंबर 892 पर अपीलांट के अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। शिकायतकर्ता रामजीलाल द्वारा अपीलांट को हैरान व परेशान करने की गरज से पूर्व में भी अतिक्रमण करने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय में झूंठे एवं मनगढन्त तथों के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.2.2022 को मौके पर जांच की गई थी जिस रिपोर्ट पर हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना पाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 893 जो खसरा नंबर 892 से लगती हुई है पर पशु सुरक्षार्थ चारदीवारी का निर्माण किया था जो खसरा नंबर 893 की खातेदारी में है ना कि खसरा नंबर 892 में। जिसके पश्चात पुनः सैटलमेंट द्वारा भी खसरा नंबर 892 की पैमाईश हुई थी उस पैमाईश में भी अपीलांट का कोई अतिक्रमण अंकित नहीं है जो सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर मौजूद थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 7.3.2024 को उपस्थित हुआ है किन्तु उक्त तिथि की कोई आदेशिका अंकित की हुई नहीं है तथा दिनांक 13.3.2024 को को जो प्रार्थना पत्र आदेश 16 नियम 1, 2 का पेश किया गया था उक्त तिथि की भी कोई आर्डरशीट नहीं लिखी गई है और दिनांक 5.7.2024 को पी0ओ0 साहब बाहर गये हुए है और हल्का पटवारी के बयान ले लिये। प्रार्थी अपीलांट के अधिवक्ता को बताया कि अधिकारी बाहर गये हुए है इसलिए बयान नहीं होंगे और अपीलांट के पीठ पीछे पटवारी के बयान ले लिये और अपीलांट को जिरह का अवसर नहीं देकर कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग किया है। अपीलांट को जो धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस दिया गया है उसमें अतिक्रमण का रकबा 0.01है. अंकित किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी रकबा 0.01है. अंकित है तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी रकबा 0.01है. अंकित है जिसमें बाद में काट छांट कर 0.08है. किया गया है जो कि राजकीय रिकार्ड में छेडछाड किया गया है। वादग्रस्त भूमि का मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम कालाखो का दिनांक 14.6.2022 को तैयार किया गया है जिसमें भी अपीलांट का कोई कब्जा आम रास्ते की भूमि खसरा नंबर 892 पर नहीं बताया गया है जबकि रामभजन पटवारी द्वारा दिनांक 28.8.2022 को मौका पर्चा बनाया है उसमें पटवारी रामभजन ने अंकित किया है कि अपीलांट की खातेदारी 893 की भूमि में पशुओं की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का निर्माण किया गया है व चारा आदि डालने के लिए खाम घर बनाया गया है हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 893 में उक्त निर्माण कार्य बताया गया है और रामजीलाल गुर्जर आये दिन शिकायत [illegible] ता है इसलिए जो धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही रामजीलाल [illegible] पर करवाई गई है, किन्तु इन सभी तथ्यों की अनदेखी कर निर्णय पारित [illegible] में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.11.2023 की मौका पर्चा रिपोर्ट जो कि अपीलांट की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है उसमें भी अपीलांट द्वारा आम रास्ते की भूमि में कोई अतिक्रमण की रिपोर्ट नहीं है आम रास्ता मौके पर यथावत चालू है और खसरा नंबर 893 अपीलांट की खातेदारी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलांट का निर्माण है किन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया जायेगा तो अपीलांट का जीवन बर्बाद हो जायेगा तथा अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अपीलांट की बर्बादी की सूरत में अपीलांट न्याय हित में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर दिलवाया जावे। निर्णय से पूर्व अपीलांट को ना तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपीलांट कगे समक्ष अतिचार का कोई मौका देखा गया। अतः अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ तहसीलदार भाण्डारेज दिनांक 31.07.2024 निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का कालाखो द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालाखो से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कालाखो की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय सिवायक चक किस्म गै0मु0रास्ता भूमि रकबा 0.01है. पर दीवार व दुकान पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का कालाखो द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर 892 रकबा 0.01है. पर दीवार/दुकान पक्का निर्माण कर अतिचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिकमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 31.7.2024 द्वारा बेदखली, व आरोपित शास्ति के दंड से दंडित किया गया है। पत्रावली में संलग्न रामभजन मीना पटवारी के बयान दिनांक 5.7.2024 का अवलोकन किया गया जिसमे रामभजन मीना द्वारा अपने बयान दर्ज कराये गये है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 5.7.2024 में अंकित किया है कि "पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब कार्य से बाहर गये है। गत आदेशों की पालना में पत्रावली दिनांक 19.7.2024 को पेश हो"। इस प्रकार विरोधाभास प्रतीत होता है कि एक तरफ पीठासीन अधिकारी को कार्य से बाहर जाना बताया है साथ ही उसी दिनांक को पटवारी हल्का के बयान लिया जाना पत्रावली की आदेशिका में अंकित किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी की प्रति के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं[illegible]891 व 893 वाके ग्राम कालाखो के कुल रकबा 0.51है. का हि0 568/[illegible] है। चूंकि अतिकमित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 892 गै0मु0रास्ता अपी[illegible] की खातेदारी भूमि के लगता हुआ है। हम न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को ध्यान में र[illegible] हुए सीधे कोई कार्यवाही नहीं कर प्रकरण तहसीलदार भाण्डारेज को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.7.2024 खारिज किया जाकर तहसीलदार भाण्डारेज को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर संभवतः 30 दिवस के भीतर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट दिनांक 28.3.2025 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भांडारेज के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 19 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:07:47 IST
Reason: SelfAttested